THE AGRICULTURAL WORKERS (MINIMUM WAGES AND WELFARE) ..... Bill, 1986—Contd.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I, on behalf of my party, stand to support the Bill introduced by my learned colleague, Mr. Balaram. The hon. Members of the House are aware of the fact that after 47 years of independence about 70 per cent of the population of India is still living, directly or indirectly, on agriculture and out of that, about 45 per cent are landless labourers who are living in abject poverty. They are not getting wages to meet the bare needs of their lives. I had an opportunity to go to Bihar just three or four days ago. The situation there is horrible. I found in Bihar that the land labourers in most of the places are getting only 3 to 4 kgs of paddy and they are not getting any cash amount. They have to work for 12 to 14 hours a day. Not only are they not getting minimum wages for their bare necessities of life, they are not getting enough work. You are quite aware of the fact that at present the land labourers get work for only 120 days im a year. They are not getting work for the whole year. Honourable Members are also aware that most of the land labourers belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and atrocities are being perpetrated against them by the affluent land-holding sections. That is why so long we have been demanding a Central legislation for minimum wages for agricultural labourers. No doubt, in most of the States there is the State legislation for minimum wages. But that is quite inadequate because the prices are going up everyday and the minimum wages fixed by the State Governments through their State legislations are proving very inadequate. Not only that. Actually there is no mechanism to look after the implementation of the State legislations. That is why we are demanding a Central legislation for minimum wages. We, therefore, fully support tht Bill introduced by t..

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय; इस सदन में कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक, 1986 पर चर्चा हो रही है। श्री एन० ई० बलराम जी ने जो विधेयक रखा है इसकी भावना, उद्देश्य और मकसद बहुत ही उत्तम है और समय की पुकार भी है तथा हमारे भारत के संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनके मुताबिक भी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह बिल ठीक बैठता है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासन काल में एक नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जिनसे मजदूरों का कल्याण हो, उनका इन्श्योरेंस हो उनकी वेजेज बढ़ें, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, उनके आवास का प्रबंध हो। आपके समक्ष यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस सरकार बराबर जो अनआर्गेनाइज्ड मजदूर हैं या आर्गेनाइज्ड मजदूर हैं उन सब के कल्याण के लिए, उनकी सिक्यूरिटी के लिए बड़े पैमाने पर काम करती रही है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री एन० ई० बलराम जी ने इस बिल पर जिन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है उनको भी आज आंख से ओझल नहीं किया जा सकता। यह सही है कि देश के अन्दर आर्गेनाइज्ड मजदूर तो अपनी शक्ति के बल पर, अपने संगठन के जरिए, अपनी एकता के द्वारा, पहिया जाम करके या कलम बन्द करके या दफ्तरों से वाक आउट कर के अपनी मजदूरी, वेतन तथा मंहगाई भत्ता बढ़ावा लेते हैं तथा सोफ़िस्टिकेटेड काम करने वाले बैंक कर्मचारी लाइफ़ इंश्योरेंस कम्पनीज में काम करने वाले कर्मचारी जिनको अच्छे पे-स्केल्ज, वेतन और जीवन स्तर की चीजें मिलती हैं। वे सब बड़ी आसानी से मनवा लेते हैं। आज देहात के अंदर बीहड़ खेतों और जंगलों में जो अनआर्गनाइज्ड लेबर है; कृषि मजदूर हैं वे कोई सुविधा न होने के बावजूद बड़े काम यों करते हैं। उनकी गरीबी अनेक कहानियां कहती हैं। आज भी अनेकों स्कीम्स लागू किए जाने के बावजूद जो खेतिहर मजदूर हैं जो कृषि कार्य में लगे हुए हमारे अनआर्गेनाइज्ड मजदूर हैं जो खेतों में फ़ार्मों में काम करते हैं उनकी मजदूरी का कोई ठिकाना या नियम नहीं हैं। यही नहीं देहातों के

[चौधरी हरि सिंह]

अंदर तो यह होता है कि महीन भर काम करवाने के बाद जो बड़े जमींदार या किसान होते हैं उनसे जब मजदूरी का पैसा मांगते हैं तो पैसा देने के बजाय वे तहसील और थाने से मिलकर उनको जेलों की सजा भुगतवा देते हैं, उनको जेल भिजवा देते हैं। यह उनकी आखिर में किस्मत हो जाती है।

मैं यह कह रहा हूं कि ये जो सेक्शन्स हैं, लेबरर्स हैं ये बहुत ही असहाय और गरीब हैं। इनके जीवन में सुधार करने के लिए उनको ऊंचा उठाने के लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ नए नियम और कानून बनाए जाएं।

आज एक परम्परा चल गयी है कि खेती में वे लोग आ गए हैं जो हल चलाना नहीं चाहते, जो खेती करना नहीं जानते, जिनके लड़के खेती का काम नहीं कर सकते हैं, उनके शेष परिवार वाले नहीं कर सकते हैं। वे बड़े बड़े फ़ार्म बनाने लगे हैं और उन फ़ार्मों का सारा काम करने वाले बेचारे गरीब मजदूर, खास तौर से दरिद्र वर्ग के लोग होते हैं, इन मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी नहीं मिलती। जो मिनिमम रखा जाता है उसका पालन नहीं होता है।

मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि सुझाव बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा सुझाव यह है कि जो लेबरर्स इन फ़ार्मों पर खेतों में काम करने वाले हैं जो कृषि मजदूर हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन हो। देहातों में अलग से उनके नाम से रोजगार आफ़िसेज होने चाहिए। जैसे शहरों के अंदर इम्प्लाइमेंट एक्सचेंजेज होते हैं उसी तरह से प्योरली जो खेतिहर मजदूर है उनके लिए अलग से इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज होने चाहिए और उनके लिए अलग से लेबर इंस्पेक्टर्स होने चाहिए। वे उनका बाकायदा ब्यौरा रखें, रजिस्ट्रेशन करें और जिनके खेत पर काम करें खेती का काम करने जायें वे जाकर वहां लिखकर दें कि फ़लां आदमी मेरे खेत पर मेरे फ़ार्म पर इतने दिन काम करेगा, उसकी यह मजदूरी मुझे देनी है। यह जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उनका सताना और शोषण बराबर होता रहेगा। यही नहीं बंधुआ मजदूरों की भी समस्या हमारे देश के अनेक हिस्सों में। जो हमारे देश के पूर्वी हिस्से हैं विशेष तौर पर यह वहां देखने में आती है। इस समस्या को हालांकि वार फ़ुटिंग पर हल करने का काम किया गया है लेकिन बहुत से स्थानों पर चले जाएं, थोड़ा सा रुपया शादी विवाह के लिए कपड़ों के लिए या दवा दारू के लिए कर्ज के रूप में ले लेते हैं और जिंदगी भर वे कमाते रहते हैं, खेती का काम करते रहते हैं। ऐसी सूरत में उनको छुटकारा दिलाने के लिए एक अलग से मशीन बनानी होगी जो खेतिहर मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन करे कि वह किस किसान के किस फ़ार्म पर कितना काम करता है। छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। आठ दस दिन काम करने के बाद उसको एक दिन का रेस्ट होना चाहिए। जैसे दफ्तरों, फैक्ट्रियों में काम करने वालों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है रेस्ट मिलता है उसी तरह से उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। यह कैसे संभव होग ? यह तभी संभव होगा जब उनका हम एक ब्यौरा रखने के लिए बाकायदा एक विभाग स्थापित करेंगे जिसका काम इंटायरली देहातों के अंदर होगा। आज इनका न लाइफ इंश्योरेंस होता है न उनके लिए बीमारी इत्यादि में दवादारू या चिकित्सा का प्रबंध होता है। यूं देहात के अंदर रहने वाले हमारी हेल्थ स्कीम्स के अंदर जा सकते हैं लेकिन जिनके यहां काम करते हैं जिस फार्म पर नौकरी करते हैं, जहां काम करने की वजह से, ठंड पड़ने से बीमार पड़ते हैं या हाथ पैर कट जाते हैं तो उसका उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, इलाज के लिए पैसा नहीं दिया जाता है।

मैं श्रीमन, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब जून का महीना होता है जब हमारी गर्मी की फसल आती है, उस वक्त रबी की फसल के वक्त में देहात के अंदर मशीनें चलती हैं तो आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में आदमियों

के हाथ कट जाते हैं। गेहूं के गट्ठे देते देते उनके हाथ कट जाते हैं। तेरह-तेरह चौदह-चौदह, पंद्रह-पंद्रह साल के लड़कों के हाथ कट जाते हैं। सरकार ने उनके मुआवजे का प्रोविजन किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट थाने में लिखी ही नहीं जाती, जमींदार मानता ही नहीं, कोई गवाह नहीं मिलता, कोई यह कहने के लिए तैयार नहीं होता कि यह उनके लिए काम कर रहा था, जमींदार के खेत का जो अनाज था, उसको निकालने में उसकी मशीन पर काम कर रहा था। वह कह देते हैं कि बच्चा खेल रहा था, वह आदमी अपने घर का काम कर रहा था। इसलिए मुआवजा क्यों दिया जाए।

इस तरह से जो उसको मुनासिब पैसा मिलने वाला है, उसको नहीं मिल पाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सारे खेतों और ऐसे फार्म्स का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जो खेतिहर मजदूरों के बल पर खेती करते हैं। अगर उनसे यह भी जायजा लेना चाहिए कि कितने मजदूरों की आपको जरूरत है और कितने मजदूर आप रखना चाहते हैं--यह नहीं कि मन में आया और गांव में घुस गये।

अभी जैसा मैंने पहले स्पेशल मेंशन उठाया था, श्रीमन्, आपके ध्यान में होगा--सिर्फ उन खेतिहर मजदूरों ने एक जमींदार साहब के यहां काम करने से इन्कार कर दिया डेढ दो रुपये पर औ इत्तफाक से उनकी जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी, जिस पर कोई फसल नहीं थी, उ पर उनके पशु चरने चले गये। जमींदा ने सजा के तौर पर झंझारपुर जिले में ज बिहार में राही गांव के पास है, वहां ज चार दलित मजदूर थे, उनको जिंदा जल दिया, उनके बच्चों को भी जला दिय उनके घरों को तहस-नहस कर दिया यह सजा मिल गई, महज इसलिए कि उन्होंने डेढ दो रुपये पर उन जमींद साहब का फसल का काम, सिंचाई का काम, खेती का काम नहीं किया। तो आ भी हिन्दुस्तान में यह है।

आखिर इनकी सुरक्षा के लिए सोशल सेक्यूरिटी की बात कही जाती है, हम यू.एन.ओ. के रेजोल्यूशन को मा हैं, आज मजदूरों के वेलफेयर की बा की जाती है, आज ब्यूरोक्रेसी की बा कीं जाती हैं, उस वक्त में अगर ऐसी घटनायें होती हैं, तो इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनका कोई हिसाब रखने वाला नहीं है, कोई इनका नाप-तौल करने वाला नहीं है। मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे किसान, ऐसे जमींदार, ऐसे फार्म होल्डर हो गये हैं, जो खेती दूसरों के भरोसे पर करते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि जो खुद खेती नहीं करते, उनके पास जमीन ही नहीं होनी चाहिए। जो खेती करे, उसी मजदूर को वह जमीन होनी चाहिए, जमीन उसी को मिलनी चाहिए जो हल चलावे, जो ट्रेक्टर चलावे, जो सिंचाई करेंगे, जो फसल बोए, जमीन उसकी होनी चाहिए।

मुझको बड़ा दुख है कि जो ग्यारह महीने की सरकार पहले चली गई, उसने जो कांग्रेस सरकार ने जो भूमिहीन बेचारे मजदूरों को जो खेती का काम करते हैं, उनको जमानें दी थीं खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, इस ग्यारह महीने की सरकार ने तो वह जमीनें छीन कर उनको बेघरबार कर दिया, बे-खेती कर दिया और आज वह बड़ी संख्या में असहाय पड़े हुए हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि श्री वी.पी. सिंह की सरकार में मजदूरों का जो शोषण हुआ, वह किसी काल में नहीं हुआ और कांग्रेस सरकार तो बराबर इस मुद्दे पर संघर्ष करती रही है और करेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है कि इनके कल्याण के लिए एक बैंक भी केन्द्रीय सरकार को बनाना चाहिए--कुछ रुपया नहीं, करोड़ों की तादाद में रुपया उनकी वैलफेयर के लिए रखना चाहिए, जो खेती का काम करने वाले हैं, उनकी रजिस्ट्री करके उनको रुपया देना चाहिए, उनकी शादी-विवाह के लिए, जो बैंक की दूसरी स्कीम है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो करके जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके लिए अलग से एक ग्रामीण बैंक या खेतिहर मजदूर बैंक बनाया जाए। उनके लिए ऋण मिले, उस पर कोई सूद हो ही नहीं और उनका बहुत सारा रुपया गवर्नमेंट सब्सिडाईज करे जैसे कि और सप्लाईज में करती है।

[चौधरी हरि सिंह]

उसी तरह से खेतिहर मजदूरों की मदद करने के लिए एक बैंक कायम किया जाए, जिसका नाम खेतिहर मजदूर बैंक होना चाहिए । वह सारे देश में कायम किया जाए और केन्द्रीय सरकार उसमें रुपया दे, जिससे उनका कल्याण-उत्थान हो सके ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज इनके लिए बनाई जाएं । वहां पर उनकी रजिस्ट्रेशन होकर, वहां से मजदूर दिये जाएं और लिये जाएं । उनका ब्यौरा, हिसाब रखने वाला कोई विभाग देहात में जरुर होना चाहिए । तभी यह मजदूर शोषण मुक्त हो सकते हैं, उनको मिनिमम मजदूरी मिल सकती हैं । सरकार को मिनिमम मजदूरी आज के स्तर पर। मंहगाई के तौर पर गरीबी को देखते हुए उनकी मजदूरी कायम करने क सरकार को निश्चय करना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मोहतर्म, श्री एन. ई. बलराम जी ने जो बिल पेश किया हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस किस्म का बिल और इस पर ला 26 जनवरी, 1950 के बाद ही आ जाना चाहिए था ।

मुझे अफ़सोस होता है कि जब हम खालिस इनसानी मुद्दों पर बात करते हैं, तब भी सियासत को बीच में लाने से नहीं चुकते हैं । हमारे फाजल मैम्बर अभी इलजाम लगा रहे थे कि 11 महीने में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और कांग्रेस से 40 साल के दौर की तारीफ कर रहे थे और यह बता रहे थे कि बहुत कुछ किया गया, मैं इसको किसी पार्टी के मसले से या पार्टी की सियासत से जोड़ना नहीं चाहता लेकिन जिस तरह वह इलजाम लगा कर यहां से चले गए उस पर मुझे अफसोस होता है, पूरा मुल्क, पूरा देश इस बात को जानता है कि आज मुल्क की 70 फीसदी, 75 फीसदी आबादी किस तरह देहातों में रह रही और खास तौर पर जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या हशर है । मजदूर किस तरह से रहता है, किस तरह गांवों और देहातों में जिन्दगी गुजारता है । बड़ी सही बात कही कि शहरों के लोग हमने मंडल कमीशन के मामले पर देखा कि वह एक मिसाल है इस मुल्क के अन्दर कि जब 80 फीसदी लोगों की बेहतरी के लिए काम किया गया तो काम किया गया तो वह लोग, जिनके हाथ में पैसे है; जो सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं, जिन्होंने आला ओहदे हासिल कर रखे हैं और जिन्होंने इस मुल्क की 90 प्रतिशत दौलत को अपने घर की जागीर बना रखा हैं वह किस तरह से सामने आए, जिस तरह से उन्होंने इस मुवमेंट को खत्म करने की कोशिश की । मैं ज्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता । जो एग्रीकल्चरल लेबर है, किसान हैं, उनकी जो हालत हैं इस पर 40 साल में कितना काम हुआ है, यह बताने की जरूरत नहीं हैं । उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आसाम में जा कर देख लीजिए कि वहां आज भी लोग बार्टर सिस्टम पर काम कर रहे हैं । आजादी के इतने साल के बाद इस मुल्क में सारा साल एक इंसान से खिदमत ली जाती हैं । उससे लैंड पर काम कराया जाता हैं, उससे घर में काम कराया जाता है, उससे टांगें दबवाई जाती हैं और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया जाता हैं और उसको साल में कुछ चना, कुछ गेहूं, कुछ अनाज दे करके उस पर एहसान किया जाता है कि हम तुमको जिन्दा रख रहे हैं । आज भी इस मुल्क के अन्दर आपको ऐसे वाक्यात मिलेंगे । हमारे रामजी लाल सुमन साहब यहां पर बैठे हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले इनकी तकरीर किसी अखबार में पढ़ी तो मुझे यह जजबा पैदा हुआ कि नई सरकार ने जहां बहुत सारे डिफ़ैक्टर्ज को, जहां बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोगों को, जैसे आज सुबह जिक्र हुआ और हाउस में हंगामा हुआ कि मिनिस्टर बनाया हैं, वहीं कुछ ऐसे लोगों को भी बनाया हैं बिलाबसुबह जिनके दिल में कुछ गरीबों का दर्द महसूस होता हैं । मुझे एक तकरीर याद है, उसके कुछ जुमले याद हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि इस मुल्क की अकलियतों, इस मुल्क के हरिजनों, इस मुल्क के कमजोर तबकें के लोगों को जब तक ऊपर नहीं लाया जाएगा यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता । बात आज एग्रीकल्चर लेबर की हो रही है । अभी हमारे फ़ाजिल मैम्बर ने बताया

कि 45 फ़ीसदी आबादी यही काम कर रही है, मुझे उसकी तफ़सील का ईलम नहीं है, उसकी अथेंटिसिटी के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वह आबादी किस तरह रह रही हैं, आज भी मुल्क में ऐसी जगहें हैं जहां पर एक औरत एक धोती के अन्दर पांच-पांच, छः-छः और दस-दस साल गुजार देती है । आज भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो दो वक्त की रोटी पेट भर कर नहीं खा सकते हैं। उनका ज्यादातर का ताल्लुक देहातों से है । आपने अभी सही फ़रमाया कि शहर के लोग तो अपने मसाइल को अखबारों के अन्दर उछाल लेते हैं, सामने ले आते हैं सरकार के भी और दूसरे लोगों के सामने भी, लेकिन यह किसान जो धरती का सीना चीर कर आपकी डबलरोटी का इंतजाम करता है उसके बारे में वाकई कभी हमने नहीं सोचा । अगर सोचा होता तो 40–43 साल के बाद हमें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा कोई बिल पास होना चाहिए । मैं इस बिल से पूरी तरह सहमत हूं । और सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह इस बारे में कानून बनाए और जो शहरों के अंदर, फ़ैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं, उनको जो फ़ैसिलिटीज दी जाती हैं बिल्कुल उसी तरह की फैसिलिटीज धरती से जुड़े हुए इस मुल्क के मजदूरों को भी वही फ़ैसिलिटीज मिलनी चाहिए ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आजकल एक फ़ैशन नहीं बल्कि एक तरीका बन गया है कि लोग बड़े-बड़े फ़ार्म हाउसेज के नाम पर इस मुल्क के अंदर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया हर महीने, हर साल ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। फ़ार्म हाउस के मालिक बन जाते हैं, अपनी कारों में आते हैं, मजदूरों से काम कराते हैं और प्रोफ़िट खुद खाते हैं । शर्मनाक बात यह है कि सियासतदारों क एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है । जरा मालूम कीजिए, कोई बचा हुआ नहीं है इसके अंदर । जरा मालूम कीजिए कि दिल्ली के आसपास जो बड़ बड़े फ़ार्म हाउसेज हैं, उनके मालिक कौन हैं ? इसमें आपको कुछ अफ़सर मिलेंगे कुछ पार्लियामेंट के मैम्बर मिलेंगे, कुछ एक्स-पार्लियामेंट में मिलेंगे, उनमें किसी स्टेट का सदर होगा। इसलिए हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा और यह देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं ? धरती के नाम पर, इस मुल्क में फ़ार्म हाउस के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट करने का जो काम हो रहा है, इस पर चैक लगाने की जरूरत है । जब तक इस पर चैक नहीं लगेगा लेबरर को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा ।

मोहतरम्। मजदूर और किसान दोनों की तकरीबन एक ही हालत समझी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में मजदूर किसी हद तक किसान से बेहतर है । आप दूसरे देशों में जाकर देख कि वहां किसानों को क्या फ़ैसिलिटीज हासिल हैं । इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बिल पर बहुत संजीदगी से गौर किया जाए और सियासत से ऊपर उठकर इसको एक इंसानी मसला समझकर हल करने की कोशिश की जाए । जो लोग शोषण कर रहे हैं, उन लोगों पर कुछ पाबंदी लगायी जाए । इन गरीबों को कुछ फ़ैसिलिटीज दी जाएं जोकि 40 साल से आपकी तरफ़ देख रहे हैं जिनके कि वोट बैंक से जीत कर आप यहां पर पहुंचते हैं । बहुत बहुत शुक्रिया ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हम प्रायमरी क्लास में पढ़ते थे तो हमको पढ़ाया जाता था, "उत्तम खेती, मध्यम वान, अधम चाकरी, भीख दान" यानी भारतवर्ष के अंदर अगर कोई बेहतरीन पेशा है तो वह खेती है । अगर हम यह कहें कि हमारे देश का कोई सबसे बड़ा धंधा है, तो वह खेती है और अगर हम खेती को उद्योग कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

मान्यवर, आज देश मे बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते हैं । रूस ने बड़ी तरक्की साइंस और टैक्नोलोजी में की, लेकिन ग ले के अभाव में भूखों मर गया और सारी दुनिया से उसने गल्ले की भीख मांगी । महोदय, हमारा देश एक्सपोर्ट कर सकता है खेती से पैदा की हुई चीजों को और सेल्फ़-सफ़ीसिएंट तो हो ही सकता है । इसलिए इससे सीधा संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का है । मान्यवर, खेती की पैदावार जितनी बढ़नी चाहिए थी, नहं बढ़ पा रही हैं। उसका कारण यह कि गांवों के अंदर जो विलेज आर्टीजंस थे उनका भी संबंध खेती से था । लेकिन

[श्री संघ प्रिय गौतम]

वहां कुटीर उद्योग धंधे बन्द कर दिए गए। उनके अभाव में वे शहरों की तरफ़ भाग रहे हैं। उदाहरण के तौर धोबी जो कपड़े धोता था, आज सेठों ने शहरों के अंदर लाउंड्रीज खोलली हैं। कुम्हार जो बर्तन बनाते थे, आज सेठों ने पाटरीज खोलली कपड़ा कोली बुनते थे गांव में आज कपड़े के कारखाने बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हैं और गांव के अंदर बढ़ई जो टिंबर का काम करते थे आज बड़े-बड़े पेट वाले टिंबर मर्चेंट सेठ शहरों में हो गए हैं। ये सारे कुटीर उद्योग-धंधे गांव के अंदर खत्म होने के कारण से आर्टीजंस शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांवों में जिनके पास खेत है और खेती में जो काम करते हैं उनके भी बच्चे आज नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। चुनांचे आज खेती को कोई पहला स्थान नहीं देता। नतीजा यह है कि जिस तरह पढ़ा-लिखा युवक व लिस के पीछे में मजदूरी में जाता है जब उसे कोई धंधा नहीं मिलता कोई काम नहीं मिलता और नौकरी नहीं मिलती ठीक उसी तरह गांव में मजदूर में है कोई मजदूरी खेती में काम करने के लिए करता है अन्यथा सब शहरों की तरफ भागने हैं क्योंकि आज गांव में काम नहीं है, यदि काम है तो उसका उचित दाम नहीं है और दाम है तो जिंदगी में आराम नहीं है।

माननीय खेतिहर मजदूर का सीधा संबंध खेती की पैदावार बढ़ाने से खेती की बढ़ोतरी से मुल्क की खुशहाली से है। दूसरे मायनों में यह कहना चाहता हूं कि जिसको हम भूमिहीन खेतिहर मजदूर कहते हैं, सही मायनों में वही किसान है। हमारे देश में चार तरह के किसान हैं। एक तो किसान है बिरला जैसे जिनके नाम पांच हजार, दस हजार एकड़ के फार्म हैं लेकिन जिन्होंने कभी फार्म देखे नहीं खेती देखी नहीं। दूसरे वे किसान हैं जिनके नाम जमीन है जमीन तो देखी है लेकिन जमीन में काम कभी नहीं किया ने जमीन से उगता हुआ कभी कोई पेड़ देखा है जो असली स्टेज पर नहीं बता सकते कि अमुक गेहूं है या जौ है या मटर है या सरसों है। तीसरे वे किसान है जिनके नाम जमीन है और काम भी जमीन में करते हैं। चौथे वे किसान हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है और जिनके नाम कोई जमीन नहीं है लेकिन दिन-रात जमीन में काम करते हैं दुर्भाग्य से इन्हीं को हम भूमिहीन खेतिहर मजदूर कहते है और जिनकी बहबूदी के लिए यह बिल इस सदन में लाया गया है। मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

माननीय इसी के साथ मैं कुछ बातें और इसमें जोड़ना चाहता हूं। यदि किसी फैक्टरी में या किसी कारखाने में या सरकारी दफ्तर में कोई आदमी डेली-वेजेज पर 90 दिन काम कर लेता है तो वह रेगुलराइजेशन के लिए क्लेमेंट बन जाता है उसे सरकार निकालना भी चाहे तो वह हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले आता है लेकिन यदि छह छह महीने लगातार कोई मजदूर गांव में डेली-वेजेज पर काम करता है तो उसके रेगुलराइजेशन का कुछ नहीं होता है उसे जब चाहे निकाल दिया जाता है। खतिहर मजदूर के रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और चूंकि खेती बारहों महीने तीसों दिन होती नहीं यह तो सीजनल होती है इसलिए इन मजदूरों के रोजाना वेतन की कोई गारंटी नहीं होती इनका काम और वेतन भी सीजनल होता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि उनकी रोजी और रोटी की गारंटी की जाए।

माननीय अभी हमारे एक कांग्रेसी भाई ने बताया था कि उनकी सरकार ने खेतिहर मजदूरों के हित के कानून बहुत से बनाए हैं लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत से कानून बनकर भी निरर्थक रहे उनका कभी इंपलीमेंटेशन नहीं हुआ कई रिपील भी कर दिए गए और इसी हाऊस में रिपील किए गए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर कानून बने और इसका इंपलीमेंटेशन भी हो इस बात की भी गारंटी की जाए।

माननीय दो मिनट और लेना चाहूंगा। हमारे देश में जब जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ था तो उस समय गांवों में बहुत बड़ी तादाद में जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी। मजदूर मवेशी पालते थे बगैर रोकटोक अपने मवेशियों को वहां ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे। जमींदारी प्रथा का खात्मा होने के बाद या तो जमीन जंगलात में चली गई या गांव-समाज में आ गई। गांव समाज की जमीन पर

बड़े-बड़े दाशाओं ने इस पर जबरदस्ती कब्जे कर लिए । आज कोई भी जमीन ग्रेजिंग के लिए मौके पर नहीं बचा है । यदि भूमिहीन खेतिहर मजदूर मवेशी पाल भी लें तो कह, उनको अपने मवेशी चराने के लिएजमीन नहीं है । जमीन वाले तो अपनी खेती और खेत की जमीन पर उनको मवेशी नहीं ले जाने देते । लिहाजा बड़ी संख्या में मजदूरों की माइग्रेशन शहरों की ओर हो रही है और शहरो में आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है, शहरों की हालत खराब हो रही है । हमारे लोग जो शहरों में स्वर्गीय जीवन बिता रहे हैं उन्हीं के भवनों के नीचे झुग्गी-झोपड़ियों में गांवों से आए मजदूरों की बाढ़ शहरी लोगों का तथाकथित जीवन नारकीय होता जा रहा है ।

इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि शहरों में आबादी के इस बढ़ते पहाड़ को रोकना है देहातों से माइग्रेशन को रोकना है और इसके लिए मजदूरों, खेतिहर मजदूरों की ओर ध्यान देना होगा, जो पैदावार बढ़ाकर देश की धरोहर को बढ़ाएंगे । मैं यही निवेदन करूंगा कि इनको सहूलियतें देनी आवश्यक है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री भूपिन्दर सिंह मान (नामनिर्देशित) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। यह बिल देश के 80 परसेंट लोगों के संबंध में है और मैं समझता हूं यह देश में सबसे ज्यादा जरूरी बात है ।

समस्या यह है महोदय कि इस वक्त अगर नहीं मिल पा रहा उनको जो चाहिए तो कौन नहीं दे रहा ? हम 5 में से 4 की बात हम करते हैं और एक आदमी को देने की बात जो नहीं हो रही, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं । अब गांव तो पैदा कर रहा है । गांव में किसान रहता है । चाहे उसके नाम जमीन हैं, चाहे उसके नाम जमीन नहीं है । जब इकट्ठे काम करते हैं तो वहां से पैदा की हुई जो भी चीज है उसको सस्ते दाम पर इस व्यवस्था ने जो खाने की आदत डाल ली है उसको बदलने की बहुत तेजी से जरूरत है । जो गेहूं किसान खेत में पैदा करता है, वह सभी इकट्ठे होकर, जिसके नाम जमीन नहीं है और जिसके नाम जमीन हैं, जिसके नाम जमीन नहीं है उसका भी परिवार और जिसके नाम जमीन है उसका भी परिवार जब उसको थ्रेशिंग करते हैं, उसको चीरनी लगाने में उसका भी कई बार हाथ कट सकता है और उसका भी कट सकता है, कटता है । तो इस व्यवस्था में जाकर जो हम गेहूं पैदा करते हैं तो जिन लोगों को सस्ता गेहूं खाने का लालच है, जिनको जीह है, जरुरत इस बात की है कि उनको इस व्यवस्था से मजबूर किया जाए कि वे भी कुछ देने की बात करें । सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, जितनी देर तक हम जो पैदा कर रहे हैं उनको देने की व्यवस्था नहीं खड़ी करते । अगर हम यह तो कहें कि उनको मजदूरी चाहिए, जरूर चाहिए । यह देश जिस दिन आजाद हुआ था और हमारे कांस्टीट्यूशन में सबसे पहली बात है कि किसी का शोषण नहीं किया जाएगा । जिसका जो हक है, वह उसको मिलेगा । जो लोग हक खा रहे हैं, जब भी वह खेत बांचने की बात करेंगे, उनके मन में यह होता है कि उनका हक अब भी वह खाते रहे ।

असल व्यवस्था यह है कि जो पैदा होता है देश के गांव में, उसका सही मूल्य मिलना चाहिए । इस मूल्य न मिलने की वजह से इतना कर्जा चढ़ गया है किसान के सिर पर, जिसे किसान दे नहीं पा रहा है और जगह-जगह इसके खिलाफ़ किसान, चाहे वह दूध उत्पादन करने वाला, जिसके नाम जमीन नहीं है, वह हो, जिस भाव से इस वक्त हम दूध पीते हैं, क्या उसे यहां जो दूध उत्पादन नहीं करते, उस भाव पर दूध उत्पादन करके पहुंचा सकते हैं ? नहीं पहुंचा सकते । यह हमारी इच्छा करती है कि जिस भाव हमको दूध मिलता है, उससे भी सस्ता कहीं मिल जाए और जो भैंस के लिए हम कर्जा देते हैं, वह कर्जा उसको नहीं जाता तो कोई बात नहीं, उससे आगे चला जाएगा, उसके ऊपर किश्तें चली आएंगी और उसके बाद राइट ऑफ़ करने की बात हो जाएगी । ऐसे ही जो किसान जिन्स पैदा करता है, उसको भी हम नहीं देना चाहते

[श्री भूपिंदर सिंह मान]

है । जितनी देर तक हम किसान को गांव को, गांव में जो चीज पैदा होती है, उसको नहीं देते, उतनी देर तक यह सिर्फ़ कहने की बातें रहेंगी ।

इस व्यवस्था के लिए अभी थोड़े दिनों में महाराष्ट्र में किसानों का इतना संघर्ष होने वाला है कि हमें तम्बाकू का भाव नहीं मिल रहा है और दूसरी जिन्सों का भाव नहीं मिल रहा । जो कर्जा राइट ऑफ़ करने की बात कहीं थी, वह नहीं हो रहा है । कर्जे जो किसान के सिर पर चढ़े हैं, उसमें किसान का दोष नहीं है । जब कर्जे के लिए, जो किसान के सिर पर चढ़े हैं, किसान का दोष नहीं है तो दोष तो हमारी सोसाइटी का है । यह कोआपरेटिव सोसाइटी है । इस सोसाइटी में हम सभी को, जिसका हक हम खाते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और जो काम नहीं करते, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको हम दें । यह देने की बात सामने आई है, इस बात से अब भी जो सारी व्यवस्था में जिनके पास जमीन नहीं हैं, खेत में काम करते हैं, जितनी देर तक हम जिन्सों का, खेत में पैदा होने वाली चीजों का भाव ठीक तरीके से नीयत नहीं करते, उतनी देर तक यह होने वाला नहीं है । मिसाल के तौर पर महोदय, 1970 में हम एक साइकिल एक क्विंटल गेहूं पैदा करके लेते थे और आज वही साइकिल चार क्विंटल गेहूं पैदा करके लेते हैं तो हमारी चार क्विंटल में से तीन क्विंटल गेहूं लूटी गयी य नहीं ? किसने लूटी है वह तीन क्विंटल गेहूं ? ऐसे ही हम एक ट्रैक्टर ढाई सौ क्विंटल, 260 क्विंटल गेहूं का लेते थे परन्तु आज वही ट्रैक्टर हमें साढे छः सौ क्विंटल गेहूं से मिलता है । यह चार सौ क्विंटल गेहूं किसने लूटी है और जो लूटने वाला है उसको पकड़ना व्यवस्था का काम है । अब हम यहां बैठे हैं । इसी ढंग से यह लूट चल रही है । हर चीज की इस ढंग से प्राइस इंडैक्स, भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स उनका तय किया है । लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि खेत मजदूर की दिहाड़ी और किसान की जो उपज है उसकी भी प्राइस इंडैक्स के हिसाब से जोड़ दें । यह सभी कुछ रेशनल ढंग से अब तक नहीं किया गया है । इसलिये यह जो मुद्दा है उसके लिये बहुत जरुरी है । यह बहुत पहले से होना चाहिये था, इतनी देर तक नहीं हुआ । लेकिन अब भी यह जो बात हो रही है इसको अगर कहने तक सीमित रखेंगे, अगर हम यह तय कर देते हैं कि इतनी दिहाड़ी या इतना वेतन हम उसके लिये तय करते हैं और उसको देने के लिये हम कुछ हाथ बढ़ाते नही क्योंकि देना तो हमे है नहीं, देना तो सोसायटी को है ।

यह आज उसको इतना देना चाहते हैं लेकिन देते नहीं, देने की बात उसको प्राइसेज से जोड़नी होगी । जितनी देर तक महोदय, खेत में पैदा हुई चीज की कीमत ठीक ढंग से तय नहीं होती, इंसाफ़ के ढंग से तय नहीं होती उतनी देर तक यहां जितनी मर्जी हम बात करते रहें सिर्फ़ सियासी बात होगी, पोलिटिकल बात होगी जो आजादी से अब तक होती रही है । मैं समझता हूं यहां इस बात को बिल्कुल ठीक ढंग से करना चाहिये । इसको करने के लिये जो व्यवस्था बननी चाहिये उसके लिये संजीदगी से ध्यान देना चाहिए और इसी संजीदगी में, इसी घबराहट में मैं हूं कि यह जो बात है कहीं कहने में न रह जाये ? इसको अमली शकल देने के लिये यहां मुझे लगता है कि जो बात आगे बढ़ी है या इसमें और बढ़ने की जरूरत है और इसका जोड़ किसान की उपज से जो वह पैदा करता है उससे जुड़ा हुआ है जिसको हम देना नहीं चाहते । मैं यह समझता हू कि यह देने को हमें दिल खुला करना चाहिये तभी यह सारी बात सामने होगी । यह होना बहुत जरूरी है लेकिन इसके पीछे जो बातें जरुरी हैं उनको भी ध्यान में रखने के लिये मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती उरुगा माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बलराम जी ने जो विधेयक रखा है मैं उसके प्रति अपने समर्थन का इजहार करते हुये कुछ बातें रखन चाहूंगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचन्द ने एक उपन्यास लिखा था– "गोदान"। उस गोदान उपन्यास को हिंदुस्तान के किसानों के जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और उस गोदान जैसे उपन्यास में प्रेमचन्द ने दिखाया था कि किस तरह होरी जैसा किसान, वह छोटा किसान शोषण के चलते अपनी जमीन खो देता है और एक खेत मजदूर बन जाता है तथा एक खेत मजदूर के रूप में गाय खरीदने की उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती और उसका गोदान उसकी पत्नी धनिया सिर्फ़ मजदूरी के 12 आने पैसे से करती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी तरह की एक और कहानी प्रेमचन्द ने लिखी थी– "सवा सेर गेहूं" जिसमें भारत का किसान सिर्फ़ सवा सेर गेहूं उधार लेने के बदले में पुश्त-दर-पुश्त ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अपनी मेहनत और मजदूरी के रूप में चुकाता रहता है लेकिन कभी भी ब्याज के के फंदे से और जिमींदारी के शोषण के फंदे से मुक्त नहीं हो पाता है। आजादी के पहले प्रेमचन्द ने यह उपन्यास और यह कहानी लिखी थी। इसका जिक्र मैंने इस सदन में इसलिए किया क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के स्वतंत्रत आन्दोलन का इतिहास भी अगर किसी कारण जल जाए तो हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास प्रेमचन्द हैं। अगर हमारे पास प्रेमचन्द का साहित्य रहेगा तो हम हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का इतिहास लिख पायेंगे।

महोदय, बडे दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पडता है कि आजादी के पहले लिखा गया यह उपन्यास आज भी हमारे वर्तमान की हक़ीकत है, आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है। इसीलिए माननीय सदस्य श्री बलराम जी जो विधेयक लेकर आए हैं मैं उसका तहेदिल से समर्थन करती हूं। हिन्दुस्तान जैसे देश, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है जिस देश की आबादी का 80फ़ीसदी हिस्सा कृषि पर निर्भर है और उस अथव्यवस्था मे न्यूनतम स्तर पर जुड़ा हुआ जो का सीढी सबसे निचला हिस्सा य नि खेत मजदूर, वह खेत मजदूर आज किन परिस्थितियों मे क म कर रह है, यह हिन्दुस्तान के किसी भी संवेनशील इंसान से छिपी हुई बात नहीं हैं लेकिन अफ़सोस की बात यह हैं कि आजादी के 43 वर्षों के बाद भी उनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं। तमाम बातें कहीं जाती रहीं लेकिन इन बातो का हश्र यथार्थ में कुछ नहीं हुआ।

महोदय, कहने को हमने जमीदारी प्रथा हटा दी लेकिन यह हकीकत हैं कि आज भी जमीदार बने हुए हैं। आज भी भूमि हदबंदी कानूनों को अंगूठा दिखाकर ऐसे-ऐसे लोग गांवों में विराजमान हैं जो वैसे तो शहरों में सुशोभित बंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिनके नाम 200, 300, 400, 500 बीघा जमीन या इतनी जमीन पडी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं हैं।

महोदय, भूमि तो भूमि जोतने वाले को ही मिलनी चाहिए। इसके लिए वामपंथी पार्टियां हमेशा से संघर्ष करती रही हैं और मैं जिस प्रदेश से आती हूं, पश्चिम बंगाल से, इस सदन के किसी भी सदस्य को इस बात पर एतराज नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार कानूनों के मामले में, भूमि सुधार के मामले में एक आदर्श राज्य रह हैं और विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, अंतरर्राष्ट्रीयसंस्थाओं तक ने पश्चिम बंगाल सरकार की, वाम-मोर्चा सरकार की भूमिक को स्वीकारा हैं कि उन्होने निश्चित रूप में गरीब खेत मजदूरों के लिए, गरीब किसानों के लिए बहुत काम किया हैं। भूमि-हदबंदी कानूनों में जो कमियां थीं, उन कमियों को उन्होंने दुरुस्त किया, किसानों को न्यूनतम मजदूरी देने का काम किया। हालांकि विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है लेकिन यह हकीकत है कि आज भी किसानो को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले 11 महीनो में जो सरकार थी, उसने किसानों की जितनी तबाही की, उतनी पहले कभी नहीं हुई। मैंने पिछले सत्र में भी हवाला दिया था कि किस तरह मध्य प्रदेश मे गांव के एक प्रधान ने एक बंधुआ मजदूर हदली सिंह के हाथ का अंगूठा काट दिया था क्योंकि

[श्रीमती सरला महेश्वरी]

यह बंधुआ मजदूर था और यह उस मालिक को छोड़ देना चाहता था ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है कि आज भी हमारे हिन्दुस्तान में खेत मजदूरों के लिए सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, आज भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि आज भी वे बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं । हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, विज्ञान और तकनीकी की बात करते हैं लेकिन यह हकीकत है कि हमारा विज्ञान, हमारी तकनीकी हमारे किसानों को कुछ भी सुविधा मुहैया नहीं करा पाई हैं । आज भी हिन्दुस्तान का किसान प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है । आज भी हमारे छोटे किसान इस बात पर निर्भर हैं कि बारिश होगी तो खेती होगी वरना नहीं होगी । बाढ़ आती है तो वे तबाह हो जाते हैं, सूखा पड़ता है तो वे तबाह हो जाते हैं । तो विज्ञान को हमने किसानों के लिए कहां इस्तेमाल किया ? हमारा विज्ञान कहां खेत मजदूरों के लिए कोई सुविधा मुहैया करा पाया ? आज भी वे जमींदारों के गुलाम बने हुए हैं, आज भी वे बड़े किसानों के गुलाम बने हुए हैं । उनके लिए सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ।

महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि तकनीकी के नाम पर, आज जिस ऐग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारी खेती के हल्के में प्रवेश करने दिया जा रहा है, निश्चित रूप से हमारे छोटे किसानों, मझोले किसानों के लिए यह तबाही का कारण बनेगा और जिस प्रकार से समझौते करके ये हमारे यहां काम कर रहे हैं उससे हमारे छोटे और मझोले किसान और खेत मजदूर तबाह हो रहे हैं । इसलिए मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्य श्री बलराम जी ने जो यह विधेयक रखा है यह बहुत ही सामयिक है और इस पर सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिए ।

महोदय, जिस देश की अर्थ-व्यवस्था जिस देश की बुनियाद खेती पर निर्भर है और जिस बुनियाद पर हम अपना महल बना रहे हैं वह बुनियाद कमजोर रहेगी तो बहुत सुन्दर महल कभी नहीं बना सकेंगे । यही वजह है कि शोषण का शिकंजा हमारे किसानों पर कसता ही चला जा रहा है चाहे गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, वह हकीकत है और राजनीति से ऊपर उठकर इस मसले पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उन्हीं की राजनीति के तहत जो राजनीति अब तक चली आ रही है उसके तहत हमारे किसान शोषण के शिकार हो रहे हैं । इसलिए मैं चाहती हूं कि इस विधेयक पर सरकार विचार करे और हमारे खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर और उनकी सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाएं । धन्यवाद ।

f[SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to support the Agricultural Workers (Minimum Wages and Welfare) Bill, 1986 presented by my esteemed friend Shri N. E. Balaram in this august House. I would, at the same time like to speak a few words on the bill. India is an agricultural country. Our economy is based on agriculture. Therefore we have resolved an alround development *ol* agriculture in our country. But unfortunately we have not given^ adequate attention to the problems of the agricultural workers. The contribution of the agricultural workers fo?" the development of agriculture in our country cannot be overlooked- They toil hard in the field. The whole nation reaps the benefit of their hard work. It is unfortunate that the country has failed to fulfill the simple needs of food clothing and shelter of the workers even more than forty years after independence- The agricultural workers do not have any high ambition of living in palatial buildings. They just" want their children get medical facility and education.

f[ ] English translation of the original speech delivered in Oriya.

Mr. Vice-Chairman: Sir, the wages that agricultural workers get is totally insufficient to meet the basc requerements or their llfe.

There is no uniformity in the payment of daily wages to the agricultural workers in our country. The government should do something to bring an uniformity in the minimum wages in all the states. While fixing the wages of the workers the government should also take into consideration the present Price-rise. The workers also do not get work everyday. They have to starve the day they do not get any work. The government should provide work to the workers through out the year.

I congratulate the Chief Minister of Orissa who has taken a praiseworthy step to alleviate the poor condition of the agricultural workers in the state. He has announced the increase of minimum wages of the agricultural workers from Rs. 11/- to Rs. 25/- per day. I hope other states will follow the example of the Chief Minister of Orissa, Shri Biju Patnaik in this regard. I once again support the bill.

Thanking you.]

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय बलराम जी ने जो विधेयक यहां रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । बहुत देर से यह डिस्कशन चल रहा है और हमारे विद्वान साथियों ने कई तरीके से इस विधेयक का समर्थन किया अपने अपने विचारों के अनुसार । हमारे एक विद्वान साथी सरकार के पक्ष और विपक्ष के बीच में से ऐसा कहे कि 11 महीने पहले तक हमारे देश के जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे, इनको सुबह एक किलो दूध पीकर खेत में जाना मयस्सर होता था । उनके पास जमीन भी थी और ये आराम से जिन्दगी गुजार रहे थे लेकिन ग्यारह महीने की इस सरकार ने उनसे वे तमाम अधिकार छीन लिए । जिन 40-45 फीसदी लोगों के बारे में हम आज जिक्र कर रहे हैं ये हमारे गांव के भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं । हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनके बारे में निरंतर हम बहस करते रहे हैं --चाहे वह निरक्षरता के आधार पर हों, जात-पात के आधार पर हो या औरतों के ऊपर जुल्म के बारे में हों और चाहे उनको गांव से खदेडने का मामला हो, चाहे बंधुआ मजदूर का मामला हो और अभी हमने इन्टरनेशनल ईयर गर्ल्स चाइल्ड के बारे में मनाया--लडकियों के सम्मान के बारे में बात कर रहा हूं । इनकी न्यूनतम मजदूरी और इनके कल्याण के बारे में विधेयक भी है । हमारे कई विद्वान साथियों ने बताया कि सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए । जिनके यहां से ये लोग मजदूरी करते हैं उनका स्वार्थ भी जुडा होता है ऐसा हमारे कई साथियों ने महसूस भी किया था । सवाल यह है कि हमारे देश में अपनी परेशानी, अपनी दुश्वारी हम अपने से कमजोर लोगों के ऊपर डाट देते हैं । इस तरह से जो सबसे कमजोर वर्ग है उनको सबसे ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है । जिनकी ताकत सबसे कम है उनको सबसे ज्यादा दुश्वारी का मुकाबला करना पडता है चाहे वह शहर का मिल मालिक हो, चाहे वह गांव का बड़ा किसान हो- मैं उन किसानो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिनको हमारे देश में किसान के नाम पर प्रधान मंत्री या उप प्रधान मंत्री को सोने का ताज और चांदी की लाठी दी जाती है। वे भूमिहीन खेत मजदूर नहीं हैं । भूमिहीन खेत मजदूर वे हैं जिनको साल में तीन महीने काम मिलता है बल्कि कभी-कभी तो तीन महीने से भी कम मिलता है और उनको उस काम का मुआवजा तक भी नहीं मिलता है । बिहार और मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 40 साल से ज्यादा उन लोगों ने राज किया है जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए । प्रेम चंद की कहानी में भी है कि उधार दिया तो ब्याज के नाम पर उनकी मजदूरी काट ली जाती है । ऐसे मजदूर हैं जिनको सिर्फ तीन महीने से भी कम काम मिलता है और अपना पेट भरने के लिए उनको अपने मालिक से उधार लेना पड़ता है । क्योंकि वह उधार दे नहीं

[श्री मोहम्मद सलीम]

पाते इसलिए वे सारे साल के लिए बंधुआ बन जाते हैं । मैं पश्चिमी बंगाल से आया हूं । पश्चिमी बंगाल में मैं गर्व से कह सकता हूं कि संगठित होकर खेत मजदूरों ने लड़ाई लड़ी और फिर हकीकत में उनकी न्यूनतम मजदूरी मुयस्सर हुई । यहां कितने ही कानून हैं विधेयक हैं लेकिन तमाम रियासतों में एक सरकार के आने से और फिर जाने से दूसरी सरकार के आने पर बहुत सी घोषणाएं कर देते हैं--बढ़ा-बढ़ा घोषणाएं करते हैं लेकिन गांव में रहने वाले मजदूर सही माने में जो खेत मजदूर हैं उनकी मुयस्सर नहीं होती । हमारा यह कहना है कि सिर्फ विधेयक बनाने से काम नहीं चलेगा । उसको लागू करने के लिए आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा जो यह पता लगाए कि यह लागू हो रहा है या नहीं । जहां तक हमारे पश्चिमी बंगाल का सवाल है क्योंकि वहां पंचायती व्यवस्था है इस कारण हर गांव में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया गया । एक तरह से एकदम निचले हिस्से में भी उनका अपना शासन है । वहां पर लागू किए जाने के लिए जो संगठित मजदूर हैं वह इसको देखते रहते हैं । लेकिन इन दोनों की परेशानी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है । शहरों के मजदूर कल-कारखानों में काम करते हैं, शासन के नजदीक रहते हैं, उनके साथ जुल्म उतने नहीं होते हैं । पहले कोशिश हुई है जब ट्रेड यूनियन मजबूत नहीं थी तो उनकी बारगेनिंग केपेसिटी को तोड़ने की कोशिश की जाती थी । इसके बावजूद भी मजदूरों को कामयाबी मिली । लेकिन गांवों में भी खेत मजदूर काम करते हैं, अलग-अलग टुकड़ों में काम करते हैं या एकदम से इंटरिम हिस्सों में काम करते हैं उनकी इतनी केपेसिटी नहीं है कि वे अपना सिर उठा सकें । उनको नीचली जात कह कर उजाड़ दिया जाता है या खदेड़ दिया जाता है । पिछले जमाने में बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, गुजरात में और राजस्थान में सरकारी अफसर, पुलिस अफसर और जमींदारों के गुण्डे इकट्ठा होकर उनके विरुद्ध हो जाते थे । इसलिए कोई ऐसा मेकेनिज्म बनाया जाना चाहिए जिसको सही मायनों में लागू किया जा सके ।

हमारे एक साथी जो बंगाल से आए हुए हैं उन्होंने भूमिहीनों के बारे में बात कही । हम जानते हैं कि गांवों में चार फीसदी लोगों के पास साठ फीसदी जमीन है और वही लोग गांवों की अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं । उनके खिलाफ भूमि-हीन खेतिहर मजदूर सिर नहीं उठा सकते हैं । उनकी मिली भगत से ही इन लोगों के साथ साजिश की जाती है । इसलिए हमें पंचायती सिस्टम को मजबूत करना होगा । हमने बंगाल में देखा है कि सिर्फ न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं है, बल्कि जो मजदूर खेतों में अपना खून पसीना बहाते हैं, फसल उगाते हैं उनके लिए पेंशन सिस्टम लागू किया गया है, ग्रुप इश्योरेन्स किया गया है । इस पर भी सियासी नजरिये से विरोध किया जाता है । बंगाल का हमारा तजर्बा है कि हम देखते हैं कि कई लोग सियासी नजरिये से चुनाव के मैदान में या सदन में भाषण करते हैं कि हम मजदूरों की स्ट्राइक के साथ हैं, लेकिन किसानों से कहते हैं कि ये लाल झण्डा लेकर किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं । यह डबल स्टेंडर्ड की बात नहीं होनी चाहिए और कथनी और करनी में फर्क नहीं होनी चाहिए । इसलिए हमें होशियार रहना पड़ेगा जिससे हम सही मायनों में खेत मजदूरों के लिए काम कर सकें ।

हम देखते हैं कि जिन लोगों को गांवों से खदेड़ दिया जाता है वे शहरों में आ जाते हैं । जो गांवों में अत्याचारों को सहन नहीं कर पाते हैं वे शहरों में आ जाते हैं । कलकत्ते में हम इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने में कामयाब हुए हैं । इसलिए ऐसे लोगों की तादाद कलकत्ते में कम हुई है । इसी तरह से दिल्ली में भी दूसरे हिस्सों से लोग आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बिहार से आते हैं और दूसरे इलाकों से आते हैं । अगर हमें इनको रोकना है तो हमें इनको गांवों और शहरों में न्यूनतम मजदूरी देनी होगी और उनको काम देना होगा । पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना होगा । मजदूरों को विकास के कामों में लगाना होगा और

उनकी जो बारगेनिंग केपेसिटी है उनको मजबूत करना होगा । ये मजदूर तीन महीने खेतों में काम करते हैं और बाकी महीनों में हमें उन्हें विकास के कामों में लगाना होगा, उनके लिए काम मुहय्या करना होगा । जब तक हम इन मजदूरों की तकदीर को नहीं बदलेंगे तब तक हम देश की तकदीर को नहीं बदल सकते हैं ।

मैं अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले इकबाल का एक मिस्रा कहना चाहता हूं--

"जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो
उस खेत के हर खोशा-ए-गंदुम को जला दो ।"

आज आजादी के 40 साल के बाद भी अगर हम अपने खेत मजदरों को रोटी भी मुहय्या न कर सकें तो यह हमारी नाकामयाबी है । इसलिए मेरा नई सरकार से निवेदन है कि हमारे नौजवान मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, वे कम से कम ऐसे कदम उठाये जिससे हमारे मजदूरों को उचित मजदूरी और रोटी मिल सके और वे अपनी तरफ से ऐसा विधेयक लाये । लेकिन सरकार के काम में उनका कहना है कि उनकी दखलअंदाजी उतनी नहीं है, लेकिन ये विधेयक लाकर यह समझा जा सकता है कि दखलअंदाजी कम है, इसलिये वे अपनी तरीके से कुछ काम कर सकते हैं।

SHRI S. VIDUTHALAI VIEUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, my friend finished his speech with a couplet. I want to start my speech with a Tamil couplet.

The meaning of this couplet is, the man who sits saying he does not have anything and if he sits idle, the motherland will laugh at him. That is about 2000 years ago, the great poet Thiruvalluvar has written like that. Now the position has changed completely in the opposite direction. Now the people who work from dawn to dusk, they could not meet even their basic needs. Therefore, I rise to support this Bill moved by my hon. friend, Mr. N. E. Balaram. This Bill is of national importance and cutting across the party lines, we may have to go through the pros and cons of the issue concerned. In fact, we will come to some sort of national consensus. After forty years of independence, we still try to give some sort of basic necessities to the workers who constitute more than 80 per cent of the population of this country. Therefore, we have to go into this subject thoroughly. I hope, Mr. Balaram will not withdraw this Bill. *(Interruptions)*. Usually, Private Member's Legislative Business comes on Friday. This is a day when we used to go to our usual place of residence. Instead of that, the Private Members' bills should come on every Monday so that everbody can participate.

Now I come to the subject. Before independence, we used to tell whatever miseries the people were facing, they were because of the British Government. We used to accuse the British people for that. They were the people who were the sole cause. Now, who is responsible for those miseries? We must find it out. Although I do not remember the exact words of Karl Marx, even then, I would like to quote him. Karl Marx has actually pictured India. He told once, it is very hard and sad to say so but it is very easy to replace a man than an ox in the Indian sub-continent because most of the Indians are unfortunately believing in the conservative superstition. They believe that giving up of life without reward for the sake of preserving a priest or a cow may cause the beatitude of those base-bom tribes.

Now regarding agriculture, what Karl Marx had said 100 years ago holds good even today and it is still prevailing. This Act should have been passed, this law should have been enacted about forty years back or in the fifties. Now at the fag end of this century, we are thinking of this. About 25 years back, in case my memory is

[Shri Viduthalai)! Virumbi] correct, the Prime Minister of Hungary visited India. At that time, there was a public talk in the streets of Delhi that the Prime Minister of Hungary came to India to visit the Prime Minister of the Hungary. Still it stands true. We feel ashamed. I may tell you, during the fifties we had decided to alleviate the miseries of the agriculturists. When we decided to alleviate the miseries of the agriculturists, we thought that land reforms Acts were essential. When we go through that, we can find that in 1957 or 1958, people thought that surplus land to the tune of nearly 250 lakh hectares will be available to be distributed among the landless labourers. But when the land ceiling .Acts were passed, the position in India was that 250 lakh hectares of land was sunk to 23 lakh hectares. Out of that, I think, nearly 10 lakh hectares could have been distributed to the agricultural workers. Therefore, still 240 lakh hectares ought *to* be distributed to the landless labourers. We must know the reasons for this delay. The Land Reforms Acts were passed in different States in different periods by different Governments. AU have been shelved or cornered. This has been going on for the last 40 years. Fortunately, in V. P. Singh's tenure, you know, all these 55 Land Reforms Acts which were passed in serveral States, came within the pur. view of the Ninth Schedule of the) Indian Constitution. Now the feudalists are prevented from going to court to 'do some sort of mischief under the pre-text of writ petitions. This has been stopped now. Apart from that, in 1973 the Task Force for agrarian relations went into the miseries and found some remedial measures also. Every time committees and commissions are appointed and they are going through the facts and figures. But the position remains the same. Now I will tell you what the present condition of the agri-cultural workers is.

This is from the 'Times of India' an article written by Shri V. Venkatesan "A shidy on agricultural labour". For the non-cultivators the average annual income per worker is Rs. 5,066/- for cultivators Rs. 3,000/-, for non-agricultural workers Rs. 4,871/- and for agricultural workers Rs. 1,703/-. After 40 years of independence, the average annual income for agricultural workers is Rs. 1,703/-. This is our condition. To alleviate from this position this Bill has been brought. The Bill has been brought t_0 establish a welfare authority for agricultural workers, to maintain a register with necessary information regarding the agricultural worker and land reforms, to punish the land owners who defy the law of the land ana to provide pension-cum-provident fund facilities to the agricultural workers. This is the crux of the problems that we are dealing with now. The problem is, unless and until the people who produce the agricultural products get remunerative prices for their products, it is very difficult for them to pay to the agricultural workers the fair wage or the minimum wage or anything else. Therefore, we must give remunerative price. It does not mean that I am accusing that States are not doing anything. They have done something. Maybe to the tune of Rs. 4,800 crores the loan has been waived. For the last one year through the national banks and the cooperative banks, under the Rupees Ten Thousand Loan Waiver Scheme more then nearly Rs. 4,800 crores were waived. For example, in Tamil Nadu the agricultural loans to the tune of Rs. 606 crores were waived in the last two years under the DMK Government headed by Dr. Kalaignar. Apart from that, I want to tell you that more than 12.5 lakh agriculturists are having water pump sets. When we came to power, we reduced the power tariff. Now, we have decided not to collect the power charges from the agriculturists because of which, T think the Government of Tamil Nadu may have to incur a loss of Rs. 35-36 crores. Tn spite of it we have done it because we want to see agriculturists come up in their life. The same way what I want

to emphasise is other problems that our agriculturists are facing should be

tackled with. There is a vast difference let ween industrial workers and agricultural workers. 4.00 P.M.

More or less the exploited society in India is the agriculturists. Why? Because, they) are not able to organise themselves. Even though they constitute 80 per cent of the population the agriculturists of our country are fragmented. They are unable to organise themselves. Once organised, they can bargain collectively and they can get what they deserve. But it is not so. Now migration from villages to cities is taking place. If this continues, a very serious situation will be confronted by the future generations. Therefore, unless and until we give proper facilities to the agriculturists we cannot stop their migration from villages to cities. For this we must go into the root cause of the Malady. In this connection there are some suggestions made i$_n$ an article by Mr. V. S. Chandran published in the 'Financial Express' recently in which he says :

> (1) Urban labour should motivate the management to diversify into rural industrialisation and encourage their participation in all capacities;
>
> (2) Union leaders should encourage bankers and financial institutions to extend financial help for ventures where labour participation in management is considered feasible;
>
> (3) Members of Parliament should urge the Government to strictly follow the the policy of allowing big industries to expand into rural areas. So far many industries are concentrating in and around Bombay, Ahmedabad or Delhi encouraging slum dwelling, pollution, industrial unrest, migration of labour, uneven waee increase in the same industry, etc;
>
> (^Educational institutions must inculcate a sense of belonging amongst the student community. Most of the teaching community used to compare our economy with the rest of the world. This will pollute young minds resulting in brain drain.
>
> Instead, we must instil in them self-confidence to develop our land and industry.

This is very important: They must instil in them self-confidence to develop our land and industry. These are some of the suggestions made. We know the problem. But for taking the remedial measures we must have the guts, we must have the motivation to exert ourselves and see that what we want is done. That.is what is required. In this context I may tell you, in Tamil Nadu there is acute water scarcity. There are some dams constructed in the neighbouring State of Karnataka even without the permission of the Central Government—they ought to have obtained the permission of the Central Government for constructing the dams but not. And they refused to release water to us. I do not want to accuse any particular State Government. In the tail end of the Cauvery delta area the people are suffering like anything. The fanners are expecting another rain but if they don't get the expected rain, then the entire cultivation at the nursery stage will be ruined and there will be no benefit accruing to the nation. Under these conditions we approached the Central Government. We are unable to get water from the neighbouring State. We say we are Indians from Cape Como-rin to Kashmir and from Bombay to Assam. But when some problem arises we are unable to see in the national perspective. That is the main issue. That is the main question. Now the issue has gone to a Tribunal. We have requested the Tribunal for an interim relief, we have requested the Tribunal that they must pass some order to release water from Karnataka. In Tamil Nadu we are very much affected by shortage of water. In each and every sphere there must be co-operation between the States We must, therefore, go to the crux of the problem of the agriculturists. As far as Tamil Nadu is concerned, we have enhanced the wages of agriculturists. Therefore, I want to tell you what the situation is in Tamil Nadu. I quote from an article:

"The sharp polarisation that is taking place in the agrarian sector is another favourable condition for organisation

[Shri Viduthalai Virumbi]

consciousness of agricultural labour. Take the instance of East Thanjavur District in Tamil Nadu. There the organisational strength of agricultural labourers, evident from the fact that they struggle not for the minimum statutory wage but for more than the prescribed minimum, is the result of sharp polarisation.'

In Tamil Nadu the agricultural labourers are not fighting just to get the minimum statutory wages. It is, therefore, evident from the facts that the struggle is not for the minimum statutory wage alone, but also for more than the prescribed minimum. The same thing I find in some other States also. That is why I request the Government of India to see the crux of the problem, to see problem which is faced by the agriculturists. That is number one.

The second thing is to see how we can remove the malady or alleviate the misery of the agriculturists or the agricultural workers. What I feel is that in order to do this the Bill is the only way out. This Bill is the only way out and I hope that the whole House will agree with the ideas and principles adumbrated in the Bill. If the Minister wants the Bill to be withdrawn by the Mover, he should give some sort of an assurance to this House that he would bring forward a comprehensive Bill from the Government side. Only in that event should the honourable Member withdraw this Bill; otherwise, he should pursue it.

With these words, Sir, I conclude. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Shrimati Mira Das. I think you will speak in Oriya.

•{•[SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Mr. Vice Chairman, Sir, I rise to speak a few words on the Agricultural workers (Minimum Wages and Welfare) Bill, 1986, brought by Shri N. E. Balaram before this honourable House.

t[jEnglish translation of the original speech delivered in Oriya.

Sir, I come from a village in Orissa. I am fully aware of the condition of the farmers and landless agricultural workers in my State. I know people of my village who were quite rich farmers in the past have become poor over the years, because their income was from agriculture. The people who were doing petty business have flourished. Our leaders have been talking about the development of agriculture in our country for the last forty three years of Independence. But what I feel is that the leaders have not taken genuine interest for the development of agriculture. The leaders of the Post-independence era gave more emphasis on the development and expansion of industry in our country. As a result of which agriculture suffered to a large extent. The planners also con-temp'ated to bring India at par with European Countries. Thus the five-year plans completely neglected the agricultural sector. But ultimately the leaders who were in power realised their mistake of neglecting agriculture. They suddenly got up from the slumber to realise that a large section of the society is totally ignored by them.

Now our leaders are convinced that the prosperity of India is impossible without the development of agricultures because agriculture involves the life of more than three-fourth of the population of our country.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the present Bill is long over due. We should have thought of this legislation forty years ago when the country got independence. The condition of India would not have been what it is today, had we brought this (legislation long ago. There would not have been large scale migration of workers from rural areas to urban areas. Mr. Vice-Chairman, Sir, I take this opportunity to congratulate the late Chief Minister of Orissa Shri Nabakrushna Choudhary who was a pioneer in introducing land reforms in Orissa. He was one who realised the ageny of the landless agricultural workers in the State. He has done a lot for the implementation of land ceiling provisions. But unfortunately nothing

worthwhile has been done by successive Chief Minister in Orissa. I want to discuss the problem of the agricultural workers of Orissa in particular because agriculture is the back-bone of Orissa's economy. Mr. Vice-Chairman, Sir, perhaps Mahatma Gandhi after seeing in his own eyes the plight of the landless agricultural labourers of Orissa and Bengal, opined that the real India lies in village. I totally agree with my friend belonging to C.P.I. (M) who just now spoke that the people who claim themselves to be farmers, present golden crown to the Ministers are not the real farmers. In my opinion the landless agricultural workers who toil from dawn to dusk are the real farmers. The landlords are not the farmers. The agricultural workers who cannot provide the basic needs of life to their family members are the real farmers. But unfortunately we have done very little for improving the condition of these workers.

Mr. Vice-Chairman, Sir, our leaders have been giving more emphasis on industry, trade and Commerce because they think that industry can only make India rich and prosperous. The saying in Sanskrit language that agriculture yeilds only half the profit business yeilds does not Ihold any good today. The various poverty alleviating schemes including[1]. Jawahar Rozgar Yojana of the Congress (I) government have done very little to improve the lot of the agricultural labourers in our country. Only the middlemen have exploited the benefit of these schemes. Mr. Vice-Chairman, Sir, flood and drought are the eternal enemies of farmers in Orissa. Orissa is destined to suffer on account of these natural calamities throughout the year. Recently the coastal district of Ganjam witnessed a devastating flash flood. This flood has not only claimed human lives but also affected the standing crops severaly. The paddy crop of the farmers has been totally affected. Many paddy fields have been covered with sand and saline water. This is the case not only with Orissa but also with Bengal, Bihar and Assam.

Mr. Vice-Chairman, Sir, mere legislation is not going to solve the problem of the agricultural workers. The Government should have a will to improve the condition of the landless workers and marginal farmers. The Government should involve the persons who have first hand knowledge of the problems of these workers. Sometimes it is seen that the problems of these workers vary from State to State. That is why the Government should involve the people of that particular State in solving the problems of agricultural workers. With these words, I once again support the bill.

Thanking you.

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : उपसभाध्यक्ष जी, यह कृषि मजदूरों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी और कल्याण विधेयक जो श्री बलराम जी ने यहां प्रस्तुत किया, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस विधेयक के जरिए उन्होंने सदन, सरकार और पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित किया ।

जो करोड़ों लोग अभी तक उपेक्षित रहे हैं, उनके संबंध में ये विधेयक 21 नवंबर, 86 को पेश हुआ । लगभग साढ़े 10 घंटे इस पर चर्चा हुई है । लगभग 28-30 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं । मैं इसकी महत्ता को समझता हूं । इतना लंबा अरसा हो गया बलराम जी के इस विधेयक के आने के बाद, कई सम्मानित सदस्य तो इस सदन से ही चले गए और कुछ सम्मानित सदस्यों ने इस विधेयक पर काफी चर्चा की है । उपसभाध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, उन्हीं की भावना के साथ मैं अपनी भावना जोड़ता हूं । मेरी पृष्ठभूमि ही ग्रामीण अंचल है । उनकी वेदना को, उनकी तकलीफ को मैं भलीभांति जानता हूं । उनका जो शोषण होता है उसका भी मुझे भली-भांति अनुभव है । शोषण की यह प्रक्रिया बंद हो और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग एहसास करें कि सरकार उन्हें एक नया भरोसा, नया विश्वास देना चाहती है, इसके लिए हमें कारगर प्रयास करने होंगे । हम यह जानते हैं कि सरकार के पास काम होता है, लेकिन सरकार को अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिएं ।

[श्री रामजी लाल सुमन]

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत बलराम जी और उनके तमाम साथियों को जिन्होंने इस डिबेट में शिरकत की है, उनको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि श्रम मंत्रालय के काम में जो हमारे पास प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं में सबसे बड़ी प्राथमिकता कृषि-मजदूरों के साथ इन्साफ की प्राथमिकता है। कृषि मजदूरों के सवाल में सरकार अतिशीघ्र अपनी तरफ से सरकारी विधेयक लाने वाली है। जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस संबंध में प्रकट किए हैं, चूंकि मेरी गैर-मौजूदगी में भी चर्चा हुई थी, लेकिन मैं लाइब्रेरी गया, अन्य सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किए, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, उनका पूरा समावेश उस विधेयक में हो।

उपसभाध्यक्ष जी, न सिर्फ इस सम्मानित सदन में चर्चा हुई, हिंदुस्तान के अन्य इलाकों में भी, सदन के बाहर भी इस सवाल पर बराबर चर्चा होती रही है। श्रम-आयोग ने 8-9 जनवरी को कृषि-मजदूरों के सिलसिले में एक सेमिनार आयोजित किया था, वहां भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शिरकत की और चिंता व्यक्त की कि कृषि मजदूरों के साथ इंसाफ हो, इसके लिए एक विधेयक लाया जाए। इसके साथ ही यहां अप्रैल, 1990 और 20 दिसंबर को हमने श्रम-मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था, उसमें जो चीजें हमारे सामने विचाराधीन थीं, उन विचाराधीन चीजों में जो अहम मुद्दा था, वह यह था कि कृषि-मजदूरों का जो अब तक उत्पीड़न होता है, इस शोषण की प्रक्रिया को बंद करने के लिए हमें कुछ कारगर उपाय करने पड़ेंगे। कृषि-मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, उसे मुआवजा न मिले, उसके लिए भविष्य-निधीक इंतजाम न हो, उसका कोई संरक्षण न हो, इन सब चीजों में हम सब लोगों का मतक्य है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती और हम चाहते हैं कि कुछ कारगर उपाय इनके लिए किए जाएं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह जानता हूं कि कृषि-मजदूरों को पूरा समय काम नहीं मिलता, फसल के समय पर ही काम मिलता है और इस आशा से कि शहर में काम मिलेगा, शहरों में आते हैं और वहां भी काम नहीं मिलता। उनकी वेदना को मैं समझता हूं। उनके साथ वही होता है :

"तुम्हारे शहर में आए तो गांव से भी गए।

मकान की आस में पेड़ों की छाँव से भी गए।"

यह उनके साथ होता है। उनकी वेदना को मैं भलीभांति जानता हूं। वैसे सरकार ने जो कानून बनाए हैं, वे पर्याप्त हैं अगर हम ईमानदारी से उनका पालन करें तो, लेकिन उन कानूनों पर अमल नहीं होता। श्रम-मंत्रियों के सम्मेलन में हमने राज्य-सरकारों को आवश्यक हिदायतें दी हैं कि श्रम से संबंधित जो कानून हैं, उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्रस्तावित विधेयक है, उस विधेयक में हम इन चीजों का समावेश कर रहे हैं--सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, महिला-कर्मियों की उचित संरक्षण व्यवस्था, काम के घंटों का तय करना और विवादों के निपटारे के लिए कार्यविधि भी उसमें शामिल होगी। जहां तक न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, हर दो वर्ष बाद उस पर विचार होता है और हमारा जो मूल्य-सूचकांक है, वह मूल्य सूचकांक आधार होता है। न्यूनतम मजदूरी के लिए मैं नहीं समझता कि कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। हमारा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है 1948 का, उसमें हम जरूर यह इरादा रखते हैं कि उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए।

उपसभाध्यक्ष जी, सरकार ने 1987 में, जो ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए कमीशन बनाया था, जिसकी अवधि दिसंबर में समाप्त हो रही थी, हमने उसको बढ़ाकर 31 मार्च तक की है। 31 मार्च तक उस कमीशन की राय हमको मिल जाएगी जैसे इस कमीशन ने बड़ा काम किया है।

बाल-श्रमिकों पर, महिलाओं पर, बंधुआ मजदूरों पर। हम इसको रपट का इंतजार कर रहे हैं। पूरी चीजों की जानकारी करने के बाद, मैं बलराम जी और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो सुझाव आपने दिए हैं, उन सुझावों का इसमें समावेश जरूर होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य बलराम जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको प्रेस न करें। धन्यवाद।

SHRI N. E. BALARAM (Kerala); Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad that a long and meaningful debate has taken place on this important Bill. A number of hon. Members have participated in the discussion. I am thankful to them because all of them have—fully supported the Bill. I am all the more glad that the hon. Minister has also supported this.

1 do not want to repeat the arguments. Many hon. Members, while speaking on the Bill, have very well explained the position and they also emphasised the need for a Central legislation giving various benefits to the agricultural workers, benefits like minimum wage, provident fund, pension and other facilities, to improve their living condition. Really speaking, they are eking out a subsistence level existence. When I say so, I am not exaggerating the condition of the rural workers. It is a fact. I think this was pointed out by hon. Members when they were speaking, supported by innumerable examples.

Why am 1 Suggesting that there should be a Central legislation? One Central legislation was passed in 1948 asking the State Governments to fix minimum wages for several sectors. But that Act had three main defects. Firstly, it did not lay down the criteria for fixing minimum wages. That was the first defect. It did not lay down any criterion. Secondly, it did not make it incumbent on the part of the State Governments to revise the wages periodically. The third defect was that it did not set up any mechanism. Because of these basic defects in that Act, the 1948 Act, there was no proper implemen tation.

Though some State Governments passed legislations fixing the minimum wage for agricultural workers, really speaking, there was no improvement. I am not criticising any State Government. That is not my idea. But actually speaking, a number of State Governments did not implement. Either they did not pass any legislation. Or, even in cases where legislations were passed, they were not very serious in implementing the legislations. This is the reality. However, gradually, because of the developmental process in the country, because of the awareness among the agricultural workers and also because of the demands by the various parties, the State Governments started implementing it. Just now, the hon. lady Member was saying that in Orissa, recently, they have fixed the minimum wage at Rs. 25.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Your Bill says, 'Rs. 20'. They are paying Rs. 25.

SHRI N. E. BALARAM: In Kerala also—from where I come—they have fixed Rs. 25. I am not making any comparison. I am not speaking politics on this. I am only pointing out the difficulties. I know the difficulties. For example, in some States, they are getting only Rs. 8. In Andhra Pradesh, they get only Rs. 9, whereas, in Punjab, they are getting Rs. 23. In some States like Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat, etc., they are getting only Rs. 11. I am not criticising any State Government. I am only emphasising the need for a Central legislation. This has been supported by all hon, Mem-bet's. I am not criticising the hon. Minister. He understands the position.

In 1980, there was an attempt to introduce a Central legislation. But it could not be done because of several reasons. 1 do not want to go into the past. Some State Governments objected to this. There was a Labour Ministers' Conference. Somehow, it did not come up. In 1979, the idea came that the need for a Central legislation for agricultural workers was imperative. It was felt that there should be a Central legislation and a Bill **was**

[Shri N. E. Balaram]

drafted. Actually speaking, a Bill was drafted. There was a Sub-committee of the Consultative Committee of the Labour Department. On the recommendations of that Sub-committee a Bill was drafted. It was circulated to State Governments. A conference of the Labour Ministers was held. But ultimately, nothing happened. 1 am not saying all this to criticise anyone. I am only saying that we should make a serious effort. We should take a political decision on this issue. Otherwise, the benefit will not go to the agricultural workers.

Again a study was made by a Sub-committee constituted by the Consultative Committee attached to the Labour Department few years back. They went into the issue. They visited several parts of the country, West Bengal, Bihar, partly Madhya Pradesh and after visiting various States they submitted a report in which they have again emphasized the need of bringing forward a legislation. But the arguments given by them were not substantive. I am not saying that the arguments were of a whimsical nature. One of the arguments advanced was that since the conditions of the agriculture in different States were not identical, how could you think of a Central legislation? I do not think that this is a sound argument. There should be some flexibility. So, there is the need now because of the working conditions in which an agricultural worker is living. If you think of any other sector, there the working conditions are little good, but here it is not so. What I want to emphasize is that even the anti-poverty programmes that were implemented by you did not have any impact on agricultural workers. I am not saying that the anti-poverty programmes have been a total failure, but they have had no impact on the agricultural workers. Some advantage may have gone to peasantry, middle peasantry, but there has been no impact Dn the agricultural worker. Minimum wages were not paid to the agricultural worker. Therefore, what I want to say is that the Government should be careful. Whatever programme they start, they should be little more careful.

This is the historical background. Now coming to some of the arguments raisei by my friends, I am fully in agreemeni with them. For instance, some of the friends have suggested that the peasants should get remunerative price for theii products. That is a reasonable argument. I am totally in support of the argument that remunerative price must be paid to the farmer. Only then the agricultural workers can be paid the minimum wages. So, there should be some mechanism. The Government should see that the exploitation by the middleman is avoided and maximum remunerative price is given to the agriculturist. In many areas, the agriculturist was not getting the remunerative price and, therefore, he could not give minimum wages to the workers. In this connection, I can give one instance. At one time the Central Government decided to import 10,000 tonnes of coconut oil. Do you know the impact it had on the coconut price in Kerala? Immediately after the announcement by the Government, the price fell down for coconut in Kerala and it became a difficult problem for us.

The Government should think about it. Now, naturally it will affect the agricultural prices. There are about 30 lakhs of coconut growers in Kerala and most of them are small peasants; they are not big ones. So, what I am saying is, remunerative price for the peasant is a very crucial issue on which the Government should do whatever is possible. Then only they can bring about some improvement, [1]hen only they can give more wages to the agricultural workers. There is no contradiction between agricultural workers' wages and remunerative prices. That is what I am trying to point out So, we have to think in these terms.

There is the National Commission set up for rural labour and I think they have conducted a seminar. The Minister was saying about it. They have given one or two reports. I do not kno$_w$ about the latest report but it came in the papers. They are also of the opinion now that a Central legislation for agricultural workers is essential. It will not create any

problem. Jt will only help the State Governments. It will not go against the interests Of the Sla[ie] Governments or the peasantry. It will only help the State Governments to implement abetter legislation because the number of agricultural workers is very large. It has been calculated to be between 70 and 80 million, which means one-tenth of the population. They are discussing about a national problem of one-tenth of the population. 1 am glad that the Minister has said that this matter has got the maximum priority; 1 agree with that. It should be taken up that way. If the Government can do something in this matter, I think it will be a very big thing for the country.

I do not want to go into tne past and criticize the whole thing, that for the last 40—50 years they could not do anything. Everybody knows about the history of our country. But our experience is that now discontent is growing, especially among the lowest rung of these people because they have no other job, they have no land. Since they are not very eager, in many areas, to distribute surplus land, these people are not getting land, they do not have any alternative jobs, and whatever job they get is only for 60 or 70 days. Then, how can a family live? That is why I said that they are living on a subsistence level of economy. So it is high time according to me, to bring about a Central legislation

I think my Bill will not be sufficient. Some friends were saying that we need an exhaustive Bill. Maybe I agree with them. But I request the Government that as quickly as posible they must bring a Central legislation so that we can give some benefits to the lowest rung of the people among the rural parts of the agricultural community.

Since the Minister has given an assurance ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Would you like to withdraw your Bill?

SHRI N. E. BALARAM: I am not pressing, Sir, but I would like to say only one thing... *.(Interruptions)*.. Many assurances are given, and that is why I am hesitating. Many assurances were given, not once but twice, in this House itself on this particular issue. I have been going through the History of Rajya Sabha. Twice the assurance was given by the Minister, but it has not been implemented. So, that history is there. So, I am looking at the time and 1 am not pressing.

SHRI M. M. JACOB (Keraia): You can invite them to Keraia to see how the Agricultural Workers (Minimum Wages) Act is working there.

SHRI N. E. BALARAM: Why should I? Again that wil] become politics.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Why are you saying that it will be politics? In Kerala you don't need to look after them or what? ... *(Interruptions)* .... In Kerala it is politics and elsewhere it is economics?

SHRI N. E BALARAM: I know, you can side track the issue.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: No, I am not sidetracking.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pon dicherry): Entire Keraia is controlled by workers.

PROF. CHANDRESH P- THAKUR: Okay, let us go to West Bengal!

SHRI N. E. BALARAM: What 1 am saying is since you have raised the issue, in 1974—Mr. Jacob knows it—in Kerala we brought the Bill. That Bill was taken by the Centre as a model, I know that. I am very proud of it. We have already brought a Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You are only proud of Kerala.

SHRI N. E. BALARAM: It is because of the provocation by the Professor that I. am saying this. Otherwise, I would not have given that example. Anyway, that was considered as a mode'. I am not saying that I am proud of it only because it concerns Kerala. That was considered as a model Bill. But that model Bill was not acceptable to Bihar. I tell you the story. The Chief Minister was the first person to oppose it. Is it not a fact? I do not want to go into the past. That is what

[Shri N. E. Balaram]

I said because if we go into the past it will become politics.

What I am saying is: forget about politics. It is high time that you brought a legislation. Legislation means covering all these items,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAII MASODKAR); I think the Minister is aware of the problem.

SHRI N. E. BALARAM: My only request is that this assurance should be a real assurance.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI BHASKAR ANNAII MASODKAR): Let us hope so. Every Minister comes with a real assurance.

श्री रामजी लाल सुमन : श्री बलराम जी की राय मेरे प्रति खराब न बने, इसलिए हम जितनी जल्दी हो सकेगा, इसको करेंगे ।

SHRI N. E. BALARAM: I am not pressing, Sir. I conclude.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990 (insertion of new Article 16A.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAII MASODKAR): Now we proceed to the Constitution (Amendment) Bill to be moved by Shri S. S. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीतसिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

संविधान के अनुच्छेद 16 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"16क. सब प्रौढ़ नागरिकों को काम का अधिकार होगा, अर्थात् गारंटीकृत रोजगार और काम के स्वरूप, मात्रा तथा कौशल के अनुसार किए गए काम के लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा ताकि उन्हें जीवन यापन के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जा सकें।"

महोदय, हमारा मुल्क सारे विश्व में जनसंख्या के रूप में दूसरे स्थान पर आता है और 85 करोड़ की जनसंख्या लेकर आज मुल्क जिस अवस्था में खड़ा है, वह विचारणीय है । कभी लोग कहा करते थे कि देश के युवा आने वाले भविष्य के कर्णधार होते हैं । ये बातें सुनने में अच्छी लगती थीं । लेकिन आज जब बेकार युवा हाथों में ए.के.–47 लेकर घूमता है या मादक द्रव्यों का व्यापार करता है या गलत रास्ते में पड़ता है तो शर्म से माथा झुक जाता है ।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे मुल्क में आज की तारीख में 85 करोड़ जनता में से करीब-करीब 10 करोड़ वे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आती है और इन युवाओं के भविष्य के बारे में अगर सोचा जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है । हमें जो सरकारी आंकड़े मिलते हैं उनके अनुसार 849 एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिकुलेट हैं, हायर सेकेण्डरी पास हैं, ग्रेजुऐट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्किल्डया अनस्किल्ड लेबर वगैरह हैं उनको मिलाकर करीब 3 करोड़ 27 हैलाख 76 हजार लोगों के नाम दर्ज । लोग नौकरी की तलाश में महीनों-महीनों एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रेनेयू कराने के लिए घूमते फिरते हैं तो यह तो उनकी बात है जो पढ़े-लिखे हैं और जिनके पास सर्टीफिकेट हैं और जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तक पहुंच सकते हैं । कभी उनके बारे में भी सोचिए जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तक नहीं पहुंच सकते । जिनके पास सर्टीफिकेट नहीं है या रूरल एरियाज में, गांव में, देहातों में अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं या जहां अभी तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तक नहीं हैं । वहां भी युवक बेकार बैठे हुए हैं । इनको दस-दस मील पैदल चलकर फावड़ा चलाने का काम करना पड़ता है, कुदाल चलाने का काम करना पड़ता है । काम के अधिकार के बारे में हमारे संविधान में धारा 41 में कुछ कहा गया है पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं । एक तो यह कह दिया जाता है कि संविधान में ऐसा कोई क्लीयरकट प्रावधान नहीं है इसलिए 'राइट टू वर्क' को नहीं लाया जा सकता । दूसरे यह कह दिया जाता है